संख्या-29/2026/85/60-1-2026 (सी-1874521)

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक:: 20 मई, 2026

विषय:- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात कार्मिकों को जी0एस0टी0/सर्विस टैक्स, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0 व अन्य लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् निदेशालय के पत्र संख्या-80/निदे0म0क0/लेखा-बजट-पुनर्विनियोग/2026-27, दिनांक 29.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में संविदा/आउटसोर्सिंग के मायध्म से तैनात कार्मिकों को जी0एस0टी0/सर्विस टैक्स, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0 व अन्य लाभ विभाग द्वारा प्रदान किये जाने हेतु अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण के लेखाशीर्षक-2235-02-102-04-कन्या सुमंगला योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में उपलब्ध बचत से लेखाशीर्षक-2235-02-102-12-चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु टॉपअप की व्यवस्था में धनराशि रू0 1,17,29,646/- एवं लेखाशीर्षक-2235-02-102-22-बाल संरक्षण इकाई की स्थापना हेतु टॉपअप की व्यवस्था के अन्तर्गत रू0 5,16,61,724/- अर्थात कुल धनराशि रू0 6,33,91,370/- (रूपये छः करोड़ तैंतीस लाख इक्यानवें हजार तीन सौ सत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत करते हुए निदेशक, महिला कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) धनराशि का व्यय सक्षम स्तर के अनुमोदन प्राप्त करते हुए सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार की गाइडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,17,29,646 (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख उनतीस हजार छह सौ छियालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-49 लेखा शीर्षक-223502102 1200-चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु टॉपअप की व्यवस्था मानक मद- 42-अन्य व्यय (2) रुपये 5,16,61,724 (रुपये पाँच करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार सात सौ चौबीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-49 लेखा शीर्षक-223502102 2200-बाल संरक्षण इकाई की स्थापना हेतु टॉपअप की व्यवस्था मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी0एम0-9 प्रपत्र पर आवंटित संख्या-RE-budget-1-11-E-4-12-X-2026-27, दिनांक 14.05.2026 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदेव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

6- महिला कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in